Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोरोना पीड़ित को आर.यू.एच.एस. में आई.सी.यू. बैड व अन्य सुविधाऐं दिलवाने की एवज में 23 हजार रुपये रिश्वत लेते मेल–नर्स रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *08 मई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की एस.आई.यू. इकाई द्वारा आज शनिवार को जयपुर में कार्यवाही करते हुये मेल–नर्स अशोक कुमार गुर्जर मैट्रो मास अस्पताल, मानसरोवर, जयपुर को परिवादी से 23 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी. बी. एस.आई.यू. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके परिजन, जो कोरोना से पीड़ित है, को आर.यू.एच.एस. में आई.सी.यू. बैड व अन्य सुविधाऐं दिलवाने की एवज में मैट्रो मास अस्पताल, मानसरोवर, जयपुर के मेल–नर्स अशोक कुमार गुर्जर द्वारा 1 लाख 30 हजार रूपये राशि रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। आरोपी पूर्व में भी परिवादी से 95 हजार रूपये वसूल कर चुका है।

जिस पर एसीबी की एस.आई.यू. इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **उप अधीक्षक पुलिस श्री कमल नयन एवं उनकी टीम** के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अशोक कुमार गुर्जर पुत्र श्री उदयभान गुर्जर निवासी ग्राम मदनपुर, पुलिस थाना बयाना, जिला भरतपुर हाल मेल–नर्स मैट्रो मास अस्पताल, मानसरोवर, जयपुर को परिवादी से 23 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।